न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 88 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 140)	18.09.2024	08.07.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

1.खाना पुत्र लाला जाति भील, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा
2.जैराम पुत्र देवा जाति भील, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयराम, कान्हा भील को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1051 रकबा 0.2752 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 88 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024 / 140 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 2166 दिनांक 11.06.25 के अनुसार मजमे आम में जानकारी करने पर इस नाम के व्यक्तियों या उनके वारिसान के जीवित या मृत होने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अप्रार्थीगण के वर्तमान निवास की जानकारी नहीं होने से उसकी तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि तालाब की डूब में आ रही है, जिसके चारो ओर तालाब है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि जयराम पुत्र देवा जाति भील निवासी डाबी एवं खाना पुत्र लाला जाति भील निवासी डाबी को भूमि खसरा संख्या 802/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन सेटलमेंट से पूर्व का है तथा नकल जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में गैर मुस्तकिल दर्ज है। भू प्रबंध विभाग के मिसल बंदोबस्त संवत 2028 से 2047 में भी अप्रार्थीगण खसरा सं. 1051 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा पर गैर मुस्तकिल दर्ज रेकार्ड है। गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1051 रकबा 0.2752 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, आईएलआर एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024 अनुसार वर्तमान में भूमि तालाब की डूब में आ रही है, जिसमें पानी भरा रहता है तथा जिसके चारों ओर तालाब है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में गैर खातेदारान के निवास, जीवित या मृत होने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होना, भूमि मौके पर तालाब के भराव में डूबी हुई होना, भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी जयराम पुत्र देवा जाति भील निवासी डाबी एवं खाना पुत्र लाला जाति भील निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन वर्तमान खसरा संख्या 1051 रकबा 0.2752 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिकमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी